

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)


: : प्रेस विज्ञप्ति : :

क्रमांक/415/लाय./ शस्त्र/14

रायपुर दिनांक 19/11/14

शासन के निर्देशानुसार शस्त्र लायसेंसियों के लायसेंस के डेटा बेस तैयार किया जाना, अनिवार्य किये है। जिले के समस्त शस्त्र लायसेंस दिनांक 01.10.2015 से बिना UID के लायसेंस अवैध माना जावेगा। अतः समस्त शस्त्र लायसेंसी अपने-अपने लायसेंस से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी हेतु कलेक्टर कार्यालय के लायसेंस शाखा कक्ष क्रमांक 17 में निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर जानकारी प्रस्तुत करें अन्यथा निर्धारित अवधि के भीतर जानकारी ऑनलाइन डाटा बेस तैयार नहीं होने पर एवं जानकारी दिये जाने के अभाव में लायसेंस स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

अतः सभी लायसेंस धारियों से अनुरोध है कि प्रपत्र में चाही गई जानकारी शीघ्र कार्यालय में जमा करावे।


अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/ /लाय./ शस्त्र/14
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक /11/14

उप संचालक, जनसम्पर्क रायपुर को सूचनार्थ। कृपया उक्त विज्ञप्ति निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करे।


अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर


19-11-14
O/C

DDO - N.E.C
PL - upload it.
SL
19/11/14